

पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मण्डल

**फर्रुखाबाद जं० स्टेशन के कार्य संचालन नियम
(बडी लाइन)**

संख्या – इज्जत नगर/14

जारी तिथि **12.10.2012**
लागू तिथि **06.12.2012**
पुनरीक्षण तिथि Oct 2017

बी श्रेणी, इकहरी लाइन अन्तर्पाशित मानक-III [बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित]

पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर संचालित

[सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1),(क), (ग), 2(ख), 8.03 (क) (ख) (ग) (II) देखें]

- टिप्पणी** – 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/14 दिनांक 29.5.2007 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख –

सी० एस० टी० ई०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER / IZN / FBD / SIP/2007/VER-ONE/11 संशोधन "एफ" पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख संख्या 1 दिनांक 12.05.2007 आल्टरेशन 'बी' दिनांक 11.5.2012 संलग्न है, जिसमे काटों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित काटों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

2. स्टेशन का विवरण –

2.1 सामान्य स्थिति –

फर्रुखाबाद जं० स्टेशन कानपुर सेन्ट्रल-शाकोहाबाद एवं कासगंज जं० मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर **बी** श्रेणी का स्टेशन है तथा कानपुर सेन्ट्रल से 139.22 किमी० तथा शिकोहाबाद से 107 किमी तथा कासगंज जं० से 107.04 किमी की दूरी पर स्थित है।

2.2 तीनों ओर के ब्लॉक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे

ब्लॉक स्टेशन –

फतेहगढ़ (पूर्व दिशा में) : 4.83 किमी० की दूरी पर स्थित है।
नीब करोरी (पूर्व दिशा में) : 19.12 किमी० की दूरी पर स्थित है।
शमसाबाद (पश्चिम दिशा में) : 16.49 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(i) आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति –

इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच० व आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

(ii) नान ब्लाक हाल्ट स्टेशन –

- (क) हरसिंहपुर गोबा हाल्ट, फर्रुखाबाद–शमसाबाद के मध्य इस स्टेशन से 8.86 किमी० की दूरी पर स्थित है।
- (ख) शुकुरुल्लाहपुर हाल्ट, फर्रुखाबाद–शमसाबाद के मध्य इस स्टेशन से 12.87 किमी० की दूरी पर स्थित है।
- (ग) ऊगरपुर हाल्ट, फर्रुखाबाद–नीबकरोरी के मध्य इस स्टेशन से 9.29 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(iii) बाहरी साइडिंग – कोई नहीं।2.3 स्टेशन के तीनों ओर के ब्लाक खंड –

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लाक खंड" समाप्त होता है।
फर्रुखाबाद जं०–फतेहगढ़	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस-21 फर्रुखाबाद जं०	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 फतेहगढ़
फर्रुखाबाद जं०–नीब करोरी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० 17 फर्रुखाबाद जं०	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल नीब करोरी (NCR)
फर्रुखाबाद जं०–शमसाबाद	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 फर्रुखाबाद जं०	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस 11 शमसाबाद

2.4 ढलान यदि कोई हो –

- (क) फतेहगढ़ की ओर चेनेज 840 से आगे 400 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान है।
- (ख) शमसाबाद की ओर चेनेज 573 से आगे 400 में 1 का ऊर्ध्वगामी ढलान है।

2.5 अभिन्यास

अभिन्यास 10 लाइनों का है। लाइन संख्या 1, से 6 तक परिचालित लाइने है। लाइन संख्या 7 से 9 तक अपरिचालित लाइन है। अपरिचालित लाइन संख्या 7 लाइन सं० से 6 से , लाइन सं० 8 लाइन सं० 2 से तथा लाइन संख्या 9 एवं 10 नीब करोरी साइड मेन लाइन से निकली है।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2.5.1 (क) परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)

रनिंग लाइन सं०	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या 1	710 मीटर	मेन लाइन प्लेटफार्म सहित (नीब करोरी साइड)
लाइन संख्या 2	686 मीटर	लूप लाइन दोनों ओर डिरेलिंग स्विच प्रदत्त
लाइन संख्या 3	686 मीटर	मेन लाइन प्लेटफार्म सहित (फतेहगढ़-शमसाबाद)
लाइन संख्या 4	686 मीटर	लूप लाइन प्लेटफार्म सहित, दोनों ओर डिरेलिंग स्विच प्रदत्त
लाइन संख्या 5	686 मीटर	लूप लाइन प्लेटफार्म सहित, दोनों ओर डिरेलिंग स्विच प्रदत्त
लाइन संख्या 6	686 मीटर	गुड्स लाइन, दोनों ओर स्नेग डैड एण्ड

- (ख) परिचालित लाइन संख्या 1 नीब करोरी के लिये तथा लाइन संख्या 3 फतेहगढ़-शमसाबाद के लिये सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1, से 6 सभी ट्रैक सर्किटेड है। ट्रैक सर्किट अप से डाउन होम सिगनल तक तथा उसके आगे 5 रेल की लम्बाई तक दोनों ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर लाइन के अभिघृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।
- (ग) नीब करोरी से / को गाड़ियाँ लाइन सं० 1, 2, 3, 6 पर ली / भेजी जा सकती है। फतेहगढ़ से / को गाड़ियाँ लाइन सं० 2, 3, 4, 5 पर ली / भेजी जा सकती है। शमसाबाद से / को गाड़ियाँ लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर ली / भेजी जा सकती है।

2.5.2 अपरिचालित लाइने तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस० आर०) :-

अपरिचालित लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन संख्या 7	रेक हैण्डलिंग साइडिंग	686 मीटर	कॉटा सं० 206X तथा 209X द्वारा प्रथक
लाइन संख्या 8	शॉटिंग नेक	686 मीटर	कॉटा सं० 201B द्वारा प्रथक
लाइन संख्या 9	ब्रेक वान रिवर्सल साइडिंग	50 मीटर	कॉटा सं० 215X द्वारा प्रथक
लाइन संख्या 10	ब्रेक वान रिवर्सल साइडिंग	50 मीटर	कॉटा सं० 215X द्वारा प्रथक

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें - कुछ नहीं।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2.6 (i) समपार फाटक

स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति, एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है –

गेट सं०	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक							
154	बी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिंग० एस 21 तथा कॉटा सं० 217 के मध्य	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
155	ए	अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 व एस 6 तथा कॉटा सं० 207 के मध्य	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
9	सी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० 17 एवं कॉटा सं० 215 के मध्य (NCR Side)	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इन्जीनियरिंग समपार फाटक							
153	बी	फर्रुखाबाद – फतेहगढ़ के मध्य किमी० 136/14-15 पर	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
157	सी	फर्रुखाबाद– शमसाबाद के मध्य किमी०	सड़क यातायात हेतु बन्द	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
158	बी	फर्रुखाबाद – शमसाबाद के मध्य किमी० 142/5-6 पर	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
8ए	सी	फर्रुखाबाद – नीबकरोरी के मध्य किमी० 1312/12-13 पर (Under NCR)	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटक वाला	है	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
86	सी	फर्रुखाबाद – नीबकरोरी के मध्य किमी० 1315/8-9 पर (Under NCR)	सड़क यातायात हेतु खुला	कार्यरत फाटक वाला	नहीं	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं

(ii) समपार फाटकों के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'क' से 'क-VII' में देखें।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

3. संचालन की पद्धति एवं साधन

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों फतेहगढ़, नीबकरोरी तथा शमसाबाद से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति कार्य प्रणाली लागू है -

प्रदत्त ब्लाक यंत्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त पुश बटन टाइप टोकनलेस ब्लाक यंत्र एक्सल काउन्टर के साथ शमसाबाद एवं फतेहगढ़ स्टेशनों के साथ समान प्रकार के ब्लाक यंत्र से पृथक-पृथक सम्बद्ध ।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---
इकहरी लाइन वाला दूरभाष युक्त नील्स टोकन ब्लाक यंत्र नीबकरोरी स्टेशन के साथ समान प्रकार के ब्लाक यंत्र से सम्बद्ध ।	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	---

[विशेष रूप से सहायक नियम 14.01 (क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" एवं अध्याय-14 तथा परिशिष्ट 'ख' का पैरा-12 देखें]

टिप्पणी - कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

[सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14.03 तथा सामान्य एवं सहा० नियम 14.04 देखें]

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति -

4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार

फर्रुखाबाद जं० स्टेशन मानक-III अन्तर्पाशित बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है। परिचालित लाइन संख्या 1, 2 3, 4, 5 व 6 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है।

प्रदत्त सिगनल

(क) अप आगमन सिगनल (फतेहगढ़ से) -

- अप डिस्टेन्ट / गेट सिगनल ए-3
- अप होम सिगनल संख्या एस-22 जिसके संकेत निम्नलिखित हैं :-
- अप होम सिगनल संख्या एस-22 मेन लाइन संख्या 3 के लिए जं० इंडिकेटर रहित
- अप होम सिगनल संख्या एस-22 लूप लाइन संख्या 2 के लिए जं० इंडिकेटर सहित
- अप होम सिगनल संख्या एस-22 लूप लाइन संख्या 4 के लिए जं० इंडिकेटर सहित
- अप होम सिगनल संख्या एस-22 लूप लाइन संख्या 5 के लिए जं० इंडिकेटर सहित

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ख) अप आगमन सिगनल (नीब करोरी से) –

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए-18
- (ii) अप होम सिगनल संख्या एस-18 जिसके संकेत निम्नलिखित हैं :-
- (iii) अप होम सिगनल संख्या एस-18 मेन लाइन संख्या 1 के लिए जं० इंडिकेटर रहित
- (iv) अप होम सिगनल संख्या एस-18 लूप लाइन संख्या 6 के लिए गुड्स इंडिकेटर सहित
- (v) अप होम सिगनल संख्या एस-18 लूप लाइन संख्या 2 के लिए जं० इंडिकेटर सहित
- (vi) अप होम सिगनल संख्या एस-18 लूप लाइन संख्या 3 के लिए जं० इंडिकेटर सहित

(ग) अप प्रस्थान सिगनल (शमसाबाद को) –

- (i) अप प्रस्थान सिगनल एस-4 लूप लाइन संख्या 2 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल एस-6 मेन लाइन संख्या 3 से
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल एस-8 लूप लाइन संख्या 1 से
- (iv) अप प्रस्थान सिगनल एस-10 लूप लाइन संख्या 6 से
- (v) अप प्रस्थान सिगनल एस-12 लूप लाइन संख्या 4 से
- (vi) अप प्रस्थान सिगनल एस-14 लूप लाइन संख्या 5 से
- (vii) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-2 शमसाबाद छोर के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(घ) अप कालिंग आन सिगनल –

- (i) अप कालिंग आन सिगनल संख्या सी-20 अप होम सिगनल संख्या एस-22 (फतेहगढ़ छोर) के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।
- (ii) अप कालिंग आन सिगनल संख्या सी-16 अप होम सिगनल संख्या एस-18 (नीब करोरी छोर) के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।

(ङ) शंट सिगनल –

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अनाश्रित शन्ट सिगनल	
अप शंट सिगनल सं० एसएच-44 कांटा सं० 217ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	फतेहगढ़ छोर से लाइन सं० 2, 3, 4 या 5 में शंटिंग के लिये आने हेतु
अप शंट सिगनल सं० एसएच-40 कांटा सं० 215 के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	नीबकरोरी छोर से लाइन सं० 1, 2, 3, 6 या 7 में शंटिंग के लिये आने हेतु
अप शंट सिगनल सं० एसएच-42 कांटा सं० 206एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन सं० 7 से शंटिंग नेक तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2, तक शंटिंग के लिये जाने हेतु

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

अनाश्रित शन्ट सिगनल	
अप शंट सिगनल सं० एसएच-24 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 के के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 2 से शंटिंग नेक तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2, तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अप शंट सिगनल सं० एसएच-26 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 के के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 3 से शंटिंग नेक तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2, तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अप शंट सिगनल सं० एसएच-28 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 के के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 1 से शंटिंग नेक तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2, तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अप शंट सिगनल सं० एसएच-30 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 के के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 6 से शंटिंग नेक तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2, तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अप शंट सिगनल सं० एसएच-32 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 के के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 4 से शंटिंग नेक तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2, तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
अप शंट सिगनल सं० एसएच-31 अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 6 के के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 5 से शंटिंग नेक तथा अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2, तक शंटिंग के लिये जाने हेतु

(च) डाउन आगमन सिगनल (शमसाबाद से) -

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल ए-1
- (ii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 जिसके संकेत निम्नलिखित हैं :-
- (iii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 में लाइन संख्या 3 के लिए जं० इंडिकेटर रहित
- (v) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या 2 के लिए जं० इंडिकेटर सहित
- (v) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या 1 के लिए जं० इंडिकेटर सहित
- (vi) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या 4 के लिए जं० इंडिकेटर सहित
- (vii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या 5 के लिए जं० इंडिकेटर सहित
- (viii) डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 लूप लाइन संख्या 6 के लिए गुड्स इंडिकेटर सहित

(छ) डाउन प्रस्थान सिगनल (फतेहगढ़ को) -

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-7 जं० इंडिकेटर रहित लाइन संख्या 3 से
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-5 जं० इंडिकेटर सहित लाइन संख्या 2 से
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-13 लूप लाइन संख्या 4 से
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-15 लूप लाइन संख्या 5 से
- (v) डाउन अग्रिम प्रस्थान / गेट डिस्टेन्ट सिगनल एस-17 फतेहगढ़ छोर के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(ज) डाउन प्रस्थान सिगनल (नीब करोरी को) –

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-7 जं० इंडिकेटर सहित लाइन संख्या 3 से
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-5 जं० इंडिकेटर रहित लाइन संख्या 2 से
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-9 लूप लाइन संख्या 1 से
- (iv) डाउन प्रस्थान सिगनल एस-11 लूप लाइन संख्या 6 से
- (v) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस-17 नीबकरोरी छोर के ब्लाक यन्त्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से नियन्त्रित

(झ) डाउन कालिंग आन सिगनल –

- (i) डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या सी-3 अप होम सिगनल संख्या एस-1 (शमसाबाद छोर) के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।

(ट) शंट सिगनल –

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अनाश्रित शन्ट सिगनल	
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-37 कांटा सं० 201बी के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	शमसाबाद छोर के शंटिंग नेक से लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 में शंटिंग के लिये आने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-41 कांटा सं० 201ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	शमसाबाद छोर के शंटिंग नेक से लाइन सं० 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 में शंटिंग के लिये आने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-39 कांटा सं० 215एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 9 तथा 10 से डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 17 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-43 कांटा सं० 209एक्स के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 7 से डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 17 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
आश्रित शन्ट सिगनल	
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-27 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 7 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 3 फतेहगढ़ छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 21 तक तथा नीबकरोरी छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 17 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-25 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 2 फतेहगढ़ छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 21 तक तथा नीबकरोरी छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 17 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु

(एम०पी०सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-29 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 1 नीबकरोरी छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 17 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-31 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 11 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 6 नीबकरोरी छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 17 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-33 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 13 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 4 फतेहगढ़ छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 21 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु
डाउन शंट सिगनल सं० एसएच-35 डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 15 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लइन सं० 5 फतेहगढ़ छोर पर डाउन एडवॉस स्टार्टर सिगनल सं० एस 21 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु

पुनरावर्तक (रिपीटर) – कोई नहीं

- 4.1 (क) सभी कॉटे एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियंत्रक पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कॉटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। कॉटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त है।
- (ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है ।
- (ग) दोनों ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पंक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जंक्शन इंडिकेटर दिये गये हैं। जंक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पंक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियों लूप (डाइवर्जिंग रूट) इंगित करेगी।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल टोकेनलेस ब्लाक यंत्र की 'ट्रेन गोइंग टू' स्थिति से **शमसाबाद एवं फतेहगढ़ छोर** तथा टोकेन बाल यंत्र ट्रेन गोइंग टू स्थिति से **नीबकरोरी छोर** से नियंत्रित है
- (ङ) स्टेशन मास्टर कांटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियंत्रण चाभी जो पैनल मुक्तक पास (पैनल रिलीज लॉक) को लॉक करती है, द्वारा नियंत्रण रखता है। जब यह लाकड स्थिति में होता है तो यह विद्युतीय रूप से कांटों एवं सिगनलों पर नियंत्रण वियोजित कर देता है। जब तक यह चाभी लगाकर घुमायी न जाये, कॉटों एवं सिगनलों का प्रचालन रूट बटन एवं सिगनल बटन के दबाये जाने पर कोई परिणाम नहीं देगा।
- (च) स्टेशन मास्टर द्वारा 'आफ' किये गये सिगनलों को आन करने के बाद रूट निरस्तीकरण के लिये इ0यू0वाई0एन0 (EUYN) बटन के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सैकेण्ड समयान्तराल के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त हो जाते हैं।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लेखित अनुदेशों को देखें।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ज) सम्बन्धित परिचालित लाइन के प्रस्थान सिगनल का पीला संकेत दोनों दिशा में अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शंटिंग संचालन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु अग्रिम प्रस्थान सिगनल के बटन को 'आन' स्थिति में रखते हुए सम्बन्धित कॉटों तथा प्रस्थान सिगनल बटन को प्रचालित किया जाना चाहिए।

4.1.1 स्टेशन मास्टर पैनल –

स्टेशन के पूर्वी छोर पर स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कांटों एवं सिगनलों इत्यादि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियंत्रण किया जाता है जिनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कांटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों इंडीकेशन, चाभी इत्यादि का विवरण निम्नवत् है –

4.1.1.1 स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी –

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कांटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाभी लगी रहती है। जब तक चाभी पैनल से निकली रहेगी उस समय तक कांटों, सिगनलों आदि के संचालन का विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा। चाभी लगाकर घुमा देने के पश्चात् पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कांटों, सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियंत्रण चाभी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कांटों, सिगनलों के आस्पेक्ट आदि का इंडीकेशन अंतिम संचालित स्थिति में अनवरत् प्रकाशित रहेंगे।

4.1.1.2 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रुट रिलीज चाभी –

पैनल पर एक ईएसएम (ESM) स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रुट रिलीज चाभी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रुट रिलीज नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल पर इस चाभी को लगाने के पश्चात् ई0यू0यू0वाई0एन0 (EUUYN) बटन एवं सिगनल बटन को एक साथ दबाने पर रुट तुरन्त रिलीज हो जाता है तथा रुट के कांटे संचालन के लिए मुक्त हो जाते हैं।

4.1.1.3 पुश बटन –

स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर प्रदत्त सभी पुश बटनों, चाबियों तथा इंडिकेशन का विस्तृत विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है।

4.1.4 स्थायी रूप से तालाबन्द कॉटे/पृथक्करण (आइसोलेशन) – कोई नहीं।

4.1.5 विद्युत चालित कॉटा मशीन/क्रैन्क हैंडिल –

मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रैक हैंडिल सीएच 1, सीएच 2, सीएच 3, सीएच 4, सीएच 5, सीएच 6, सीएच 7, सीएच 8, सीएच 9, सीएच 10, द्वारा कांटों संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दस क्रैक हैंडिल नियंत्रक चाभी का प्रावधान है। जिनमें से दो स्पेयर हैं।

स्टेशन मास्टर द्वारा क्रैक हैंडिल नियंत्रक चाभी निकालने की पद्धति निम्नवत् है –

- (i) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित चाभी का वाई0एन0 एवं जी0बी0एन0 बटन एक साथ दबायेंगे।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ii) विद्युत कांटा मशीन को आपात कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूर्ण होती हैं तो पैनल पर क्रैन्क हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को धुमाकर निकाल लेगे।
- (iii) परिशिष्ट ख' के पैरा वर्णित विधि से कांटों का संचालन किया जाये तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी को पुनः क्रैन्क हैण्डिल लाक में लगाकर पूर्ववत् स्थिति में घुमा दिया जाये।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी का एल०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबाने पर क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक हो जायेगा तथा क्रैन्क हैण्डिल के एलएन बटन के ऊपर क्रैन्क हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा।

4.1.5.1 क्रैन्क हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण निम्नवत् है –

क्रैन्क हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियंत्रित कांटों का विवरण
सी०एच० – 1	201ए-201बी, 203ए- 203बी
सी०एच० – 2	204ए-204बी, 202एक्स
सी०एच० – 3	2054ए-205बी, 206ए – 206बी
सी०एच० – 4	207-207एक्स, 208ए-208बी
सी०एच० – 5	स्पेयर
सी०एच० – 6	स्पेयर
सी०एच० – 7	212ए-212बी
सी०एच० – 8	211-211एक्स, 213ए-213बी, 216, 217
सी०एच० – 9	214-214एक्स,
सी०एच० – 10	209- 209एक्स 210ए- 210बी, 215-215एक्स,

4.1.5.2 प्रत्येक समय जब क्रैन्क हैण्डिल द्वारा परिचालित कांटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस संबंध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये –

क्रम सं०	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकालने का उद्देश्य विफलता/ परीक्षण	क्रैन्क हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैन्क हैण्डिल चाभी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इण्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं सिगनल स्टाफ) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौंपनी चाहिये। दोनों केबिनों के बेसमेन्ट को दोहरे ताले से लाक करके खोलने की आवश्यकता पडने पर इसी प्रकार की पंजिका में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये ।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)

विद्युत विफलता की स्थिति में सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में आई०पी०एस० की व्यवस्था की गयी है। आपूर्ति के साधन, लोकल पावर सप्लाई (राज्य विद्युत बोर्ड), डीजल जनरेटर एवं इंट्रीग्रेटेड पावर सप्लाई है। आई०पी०एस० का कार्य संचालन एवं विफलता के समय गाड़ी संचालन हेतु अपनायी जाने वाली कार्यविधि का विस्तृत विवरण सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 में देखें)

5. दूर संचार – स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्न टेलीफोन प्रदत्त हैं –

- (i) इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बद्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- (ii) फतेहगढ़ स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (iii) शमसाबाद स्टेशन के टोकेनलैस ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (iv) नीबकरोरी स्टेशन के टोकेन ब्लाक यन्त्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
- (v) ट्रैफिक गेट सं० 155/ए, 154/बी तथा 9/सी के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- (vi) इंजी० गेट सं० 153/बी (फर्रुखाबाद-फतेहगढ़) के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- (vii) इंजी० गेट सं० 157/सी एवं 158/बी (फर्रुखाबाद-शमसाबाद) के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- (viii) इंजी० गेट सं० 8A/सी एवं 86/सी (फर्रुखाबाद-नीबकरोरी) के गेटमैन के साथ टेलीफोन
- (ix) बी०एस०एन०एल०फोन
- (x) 25 वाट वी०एच०एफ० सेट ।

(संचार व्यवस्था विफल होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 10A में उल्लिखित नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय)

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12 एवं 8.13, 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

1) गाड़ियों का आगमन –

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6 पर आगमन कराना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि –

- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपेन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) स्टेशन पैनल पर देखकर सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर गाड़ी लेना है, साफ एवं बाधा रहित है।

लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए –

(i) अप गाड़ियों के लिए

1. लाइन संख्या 3 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2 तक।
2. लाइन संख्या 4 पर आगमन के लिए स्नेग डैड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2 तक।
3. लाइन संख्या 5 पर आगमन के लिए कॉटा संख्या 207एक्स (नार्मल) तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2 तक।
4. लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए कॉटा सं० 202एक्स(नार्मल) या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2 तक।
5. लाइन संख्या 1 व 6 पर आगमन के लिए स्नेग डैड एण्ड तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 2 तक।

(ii) डाउन गाड़ियों के लिए

1. लाइन संख्या 6 पर आगमन के लिए स्नेग डैड एण्ड या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 17 तक
 2. लाइन संख्या 1 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 17 तक
 3. लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए कॉटा सं० 214एक्स (नार्मल) या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 21 या एस 17 तक
 4. लाइन संख्या 3, 4 या 5 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल एस 21 तक
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
 - (घ) अप गाड़ी लाइन संख्या 2, 3, 4, 5 पर लेते समय गेट संख्या 155/ए, को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियंत्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इन्डीकेशन दिखाई देगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

डाउन गाडी लाइन संख्या 2, 3, 4, 5 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट संख्या 154/बी को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियंत्रण बटन 552 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इन्डीकेशन दिखाई देगा। डाउन लाइन संख्या 1 या 6 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट संख्या 9/सी को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियंत्रण बटन 553 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इन्डीकेशन दिखाई देगा।

- (इ) आनेवाली गाडी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल 'आफ' करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेंगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने का सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाडी के लिये आगमन के 'आफ' होने का सूचक है।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाडी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाडी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तब यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नहीं करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।
- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाडी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियाँ बुझकर लाल बत्तियाँ जल जाती हैं और जैसे जैसे गाडी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियाँ बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियाँ फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाडी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद पीछे के कांटों को एक मिनट के अन्दर अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करें। गाड़ियों की कासिंग की स्थिति में दोनों ओर के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट करे। तत्पश्चात कांटों एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।

(ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटों को सेट करने के लिये सा0 एवं स0 नि 05.19 देखिये तथा एक्सल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही के लिये परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5, 4.6 एवं 4.7 देखें)

6.1. गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य –

गाडी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, शॉटिंग मास्टर, फाटकवाला एवं काँटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.1.1 प्रत्येक पारी में गाड़ी संचालन कर्मचारी(क) दिन की पाली

स्टेशन अधीक्षक	—	01	—	सुपरवाइज़री
स्टेशन मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाल	—	03	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	—	03	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शान्तिग मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

साँध्य पाली / रात्रि पाली

स्टेशन मास्टर	—	02	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कॉटावाल	—	03	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटकवाला	—	03	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
पोर्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
शान्तिग मास्टर	—	01	—	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन अथवा प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

साधारण नियम 3.38 (i), 3.40 (3) देखें)

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन —

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या उससे अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(सहायक नियम 5.01(19) तथा परिचालन नियमावली के अध्याय 3 का पैरा 3003 देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें —

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि —

- (क) सम्पूर्ण आन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल 'आन' स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) वॉछित लाइन स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 153/बी, 8/सी एवं 86/सी तथा डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 157/सी, 158/बी के गेटमैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्टों में दिये गये अनुदेशों के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

[सामा० एवं सहा० नि० 8.03 (2) (क) (ख) (ग) तथा सहायक नियम 8.03 (I) से (IV) देखें]

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा०)/इज्जतनगर

6.2.1. गाड़ी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें पर्याप्त दूरी / विचलन :-

1. सामान्य नियम 3.40 (i) (b) के अनुसार पर्याप्त दूरी सामान्यतः गाड़ी के रूकने के स्थान से मापी गयी है।
2. सामान्य नियम 3.07 (7) के अनुसार निम्न सिगनलों को संयुक्त किया गया है –
 - (क) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल सं० एस 21 को गेट सं० 153 के डाउन गेट डिस्टेन्ट के साथ तथा,
 - (ख) अप डिस्टेन्ट सिगनल फर्रुखाबाद को अप गेट सिगनल सं० 3 गेट सं० 153 के साथ

6.2.1.1 ब्लॉक लाइन के विरुद्ध कांटों को अन्य लाइन के लिये सेट करना –

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रसिंग/प्रीसीडेन्स के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के काँटे अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट किये जायें।

[सामान्य एवं सहायक नियम 5.19(1) से (5) तक को देखें]

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन –

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो तो सामान्य नियम 5.09 (1) (a)(b)(c), (2)(c), (3) (a)(b)(i) (1) (a)(b)(c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करे।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन –

सामान्य तथा सहायक नियम 5.10 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता के अनुसार अपरिचालित लाइनों पर आगमन कराया जा सकता है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का प्रस्थान –

सामान्य तथा सहायक नियम 5.11 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवश्यकता के अनुसार अपरिचालित लाइनों से प्रस्थान कराया जा सकता है।

6.2.1.5 कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाड़ी प्रस्थान करना –

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना –

कोई नहीं

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें –

- (क) वॉछित परिचालित लाइन जिस पर गाडी को लेना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक इंडिकेशन स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाडी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटे वॉछित लाइन के लिये सेट एवं पाशित है।
- (ग) लाइन जिस पर गाडी लेनी है सम्मुख कॉटों के आगे गाडी के सम्मुख पडने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।
- (ड) अप गाडी लाइन संख्या 2, 3, 4, 5 पर लेते समय गेट संख्या 155/ए, को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियंत्रण बटन 551 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इन्डीकेशन दिखाई देगा।

डाउन गाडी लाइन संख्या 2, 3, 4, 5 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट संख्या 154/बी को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियंत्रण बटन 552 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इन्डीकेशन दिखाई देगा। डाउन लाइन संख्या 1 या 6 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय गेट संख्या 9/सी को बन्द एवं लाक कराकर गेट नियंत्रण बटन 553 को लाकड स्थिति में दबायें। इससे पैनल पर गेट बन्द होने का इन्डीकेशन दिखाई देगा।

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाडी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 गाडियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाडियों की कासिंग तथा गाडियों को प्राथमिकता देना

- (1) इस स्टेशन के गाडियों के लिये एक साथ प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है –
- (क) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन फतेहगढ़ से
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 6 पर आगमन नीबकरोरी से
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 या 4 या 5 से प्रस्थान फतेहगढ़ को
- (ख) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन शमसाबाद से
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 या 4 या 5 से प्रस्थान फतेहगढ़ को
- (ग) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 6 पर आगमन शमसाबाद से
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 या 4 या 5 से प्रस्थान फतेहगढ़ को
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 या 3 से प्रस्थान नीबकरोरी को

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (घ) अप ट्रेन का लाइन संख्या 4 पर आगमन फतेहगढ़ से
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 6 पर आगमन नीबकरोरी से
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 या 5 से प्रस्थान शमसाबाद को
- (2) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग प्राधिकृत है।
(सहायक नियम 5.01 (14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन –

- (क) स्टेशन से बिना रूके सीधे जाने वाली गाड़ियों के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल0वी0.बोर्ड/ फ्लैशर टेल लैम्प स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करे कि गाड़ी पूरी आ गयी है / चली गयी है।
- (ख) रूकने वाली डाउन गाड़ियों के मामले में यातायात समपार 155/ए पर कार्यरत गेटमैन गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राईवेट नं० के साथ देगा तथा इसे अपने लॉग रजिस्टर में लिखेगा। नीबकरोरी व फतेहगढ़ से आने वाली अप गाड़ियों का नियमित रूप से तथा डाउन गाड़ी अपूर्ण आने की स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इनटेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा।
(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान –

- जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि—
- (क) अगले ब्लाक स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) डाउन गाड़ियों के मामले में समपार संख्या 153/बी, नीबकरोरी की ओर गेट सं० 8A/सी, 86/सी तथा अप गाड़ियों के लिये गेट संख्या 157/सी व 158/बी के गेटमैन को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार सूचित करें
- (ग) जाँचें कि अभिधारिता भाग के ट्रैक सर्किटों के लिये ट्रैक आक्यूपैन्सी बत्तियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है
- (घ) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (ङ) जब मार्ग सैट एवं पाशित हो जाये तथा पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हों तब डाउन गाड़ी के लिये गेट सं० 154/बी या 9/सी जैसा भी मामला हो, सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन दबायें। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।
इसी प्रकार अप गाड़ी के लिये गेट संख्या 155/ए को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन दबाये। गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (च) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (ज) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेगी।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् स्टेशन मास्टर मेन अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर अथवा वाकी टाकी पर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को देगा।
- (ट) स्टेशन पैनल पर देख लें कि गाड़ी जिन जिन ट्रैक सर्किट पर जाती है वैसे वैसे उन ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल "आन" हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ड) ट्रैक सर्किट की विफलता अथवा ट्रैक सर्किट बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा

6(2) प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने की शर्तें

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिसे गाड़ी को भेजनी है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर सम्बन्धित लाइन साफ संकेत उपलब्ध है।
- (घ) डाउन गाड़ी के लिये गेट सं० 154/बी व 153/बी तथा अप गाड़ी के लिये 155/ए, 157/सी तथा 158/बी एवं अप गाड़ी नीबकरोरी की ओर के लिए गेट सं० 9/सी, 8/ए/सी तथा 86/सी को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट के अनुसार सूचित करें तथा ट्रैफिक समपार को सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं लाक कराकर सम्बन्धित गेट नियन्त्रण बटन दबायें। इससे गेट बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर आ जायेगा।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना -

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, लोको पायलट एवं गार्ड को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

6.7 गाड़ियों का बिना रूके सीधे जाना (रन थ्रू) –

- (क) इस स्टेशन से सभी परिचालित लाइनो से सामान्य नियम 4.11 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए गाड़ियों को बिना रूके जाने की अनुमति है ।
- (ख) कोई भी गाड़ी लूप लाइन से निर्धारित प्रतिबन्धित गति से सीधे जा सकती है। ऐसी स्थिति में होम तथा प्रस्थान सिगनलों को ऑफ कर देना चाहिए तथापि प्रस्थान सिगनल आफ संकेत तभी धारण करेगा जब गाड़ी द्वारा सम्बन्धित ट्रैक सर्किट को आक्यूपाई कर लिया गया हो।
- (ग) जब कोई यात्री गाड़ी नान-प्लेटफार्म लाइन पर खड़ी हो तो कोई गाड़ी प्लेटफार्म लाइन से सीधी नहीं जायेगी।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति –

कॉटों एवं सिगनलो के विफल हो जाने की दशा में, सामान्य एवं सहायक नियम 3.69 (3), 3.70 (1)(3), 3.68 (1)(3) सहायक नियम 3.39 (ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के लोको पायलट को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करे।

स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49 (2) (बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त बीजी सिगनल कलर लाइट होने के कारण दिन एवं रात अनवरत प्रकाशित रखें।, स्टेशन मास्टर द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनल को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

ब्लाक यंत्र विफल हो जाने पर सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (I) (II) तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों/सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली –

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लिये लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। टोकनलेस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली संचालन के लिये निर्धारित प्रपत्र पर प्राधिकार जारी करना सुनिश्चित करें ।

(सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

(घ) टोकेनलैस प्रखण्ड पर मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय।

7. लाइन अवरुद्ध होना –

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाये तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा –

7.1 स्टेशन डायरी एवं गाडी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा कि सिक्थोरिंग के सभी प्रावधानों का अनुपालन कर दिया गया है तथा गाडी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर एक्सचेन्ज करेगा।

7.2 उन लाइन से संबंधित कॉटे विपरीत सैट करेगा।

7.3 कार्यमुक्त होने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्य पर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।

7.4 जब परिचालित लाइन साफ हो जाये तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाडी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।)

7.5 जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनों द्वारा अवरुद्ध की जाये तो, स्टेशन पर खडे वाहनों के संबंध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनों को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशों के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहनध्वाहनोंध लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बाँध दिया जाय तथा दोनो छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

7.6 सभी वाहनों के साथ प्रदत्त बेंकों को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेंक में वाहनों को अवश्य जोडा जाये। जब परिचालित लाइन पर रोक खडा हो, तो हर रोक में वाहनों का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनों के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वाहन है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनों के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगे।

विशेषतः तूफानी मौसम में जब रोक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरों का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड देना चाहिये।

7.7 नये प्रकार के बोगी रोकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढक सकते है। ये स्टाक खडा करके भी 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढकने का वैसे ही खतरा बना रहता है। जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बों के 133 में 1 की ढलान पर लुढकने का खतरा रहता है। इन वैगनों को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनों पर खडा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

टिप्पणी –

1. बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाये –
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाये और ताला लगाया जाये।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाये।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनों के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोटर अथवा कौटवाला द्वारा ब्रेक परिचालित किये जाने चाहिये।

2. रोलर बियरिंग स्टाक की शंटिंग में सावधानियाँ –

- (क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संगठन गति प्रति घंटा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- (ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड़ में, पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम संगठन प्रभावी गति 2.4 किमी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये। (सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)

8. शंटिंग –

शंटिंग संबंधी नियमों के संदर्भ हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14, एवं 8.15 देखे।

8.1 ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है –
 - (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
 - (ii) सम्बन्धित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो।
 - (iii) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो।
 - (iv) लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाये।
- (ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग** – निम्न शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है –
 - (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
 - (ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' स्थिति में हों।
 - (iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 - (iv) लोको पायलट को शंटिंग आदेश टी-806 पर दिया जाये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- (ग) **आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग** (आगमन अनुमति देने के बाद)
- (क) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनलों को 'आन' स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कॉटो तक शंटिंग की अनुमति है।
- (ख) वाहयतम सम्मुख कॉटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग करने की अनुमति है।
- (i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो।
- (iii) सम्बन्धित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो, तथा
- (iv) गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये।
- (घ) **जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग**
- प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्न शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है –
- (i) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो।
- (ii) सभी सम्बन्धित सिगनल आन स्थिति में हो।
- (iii) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो।
- (iv) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो।
- (v) लोको पायलट को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु ब्लाक बैक करके लिखित अनुमति दी जाये।
- 8-4.1 **शंटिंग पर प्रतिबन्ध** – कोई नहीं।
- 8.4.2 **शंटिंग का कोई विशेष पहलू** –
- (क) जब अकेले रोलर बीयरिंग लगे हुए स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम इम्पैकड स्पीड 5 किमी० प्रतिघन्टा से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ख) जब रोलर बीयरिंग लगे हुए एक साथ जोड़ में 5 वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम इम्पैकड स्पीड 2.4 किमी० प्रतिघन्टा से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ग) **फतेहगढ़** की ओर शंटिंग करते समय गेट सं० 154/बी, **नीबकरोरी** की ओर गेट सं० 9/सी तथा **शमसाबाद** की ओर गेट सं० 155/ए का बन्द एवं लाक होना सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व शंटिंग प्रभारी का होगा।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

8.5 स्टेशन यार्ड/माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शंटिंग –

स्टेशन यार्ड से बी०जी० रैक हैण्डलिंग साइडिंग में जाने / आने के लिये कांटों की सैटिंग एवं लाकिंग सिगनलिंग परिशिष्ट "ख" के पैरा 11 में वर्णित कार्यविधि के अनुसार की जायेगी ।

8.6 बहिर्वर्ती (आउट लेइंग) साइडिंग की कार्य विधि, यदि कोई हो – कोई नहीं।

9 असामान्य परिस्थितियाँ –

(क) 1. असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाडियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:

- (i) ट्रेन सिगनलिंग उपकराणों के पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल फोन अथवा बी०एच०एफ० सेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।
(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 से 14.25 तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखें)
 - (ii) ब्लाक टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा वी०एच०एफ० सेट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।
- 2.(अ) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० फोन से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाडियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाडियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

2. (ब) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेना/देना –

वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेने/देने के समय निम्न निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

- (i) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर माँगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाडियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरुद्ध एवं साफ होने का समय लिखा जाये।
- (ii) लाइन क्लीयर तभी दिया/लिया जाये जब वीएचएफ सेट की आवाज साफ हो। वीएचएफ सेट का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डेक्शन हो, डिस्परबेन्स हो, या कम आवाज सुनाई पड रही हो।
- (iii) जब वीएचएफ सेट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह है तो वीएचएफ सेट का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- (iv) वीएचएफ सेट पर केवल तीन गाडियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात् लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातयात निरीक्षक या सुपरवाइजरी एसएम या सुपरवाइजरी स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया/दिया जाये।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2. (स) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में यह किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।
(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)
3. यदि कोई मोटर चालित कॉटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या कॉटा विद्युत मशी द्वारा प्रचालित किसी कॉटे पर या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कॉटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कॉटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के संबंध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कॉटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परिक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।
- (ख) क्रैन्क हैण्डल द्वारा कॉटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि –
संचालन नियम के पैरा 4.1.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 तथा 7.3 के अनुसार कार्य किया जायेगा।
- (ग) कॉटों, ट्रैक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना
संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 16 को देखें।
- (घ) कालिंग आन सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाणन :-
ट्रैक सर्किट / एक्सल काउन्टर के खराब होने पर कालिंग आन सिगनल 'आफ' करने से पूर्व मार्ग तथा रेल पथ की क्लीयरेंस, जिस लाइन पर गाडी को गुजरना है, का भौतिक सत्यापन कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं किया जाय।
- 9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता
संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है –
सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे –
- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सल काउन्टर।
(ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
(ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है।
(घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन अथवा बी0एस0एन0एल0 फोन।
(ङ.) नियंत्रण दूरभाष,
(च) वी0एच0एफ0 सेट।

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन
किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना
चाहिये –

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।
(ख) गाडी के इंजन द्वारा ।
(ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर ।
(घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी – संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये ।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी –

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा –	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369 (3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

2.	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का पलो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2. इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाड़ियों के लिये सशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिये लाइन क्लीयर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने के लिये टी 369 (3 बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौपे जायेगे।
----	---	---

टिप्पणी –

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाडी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।
- जब कोई गाडी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी0 प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी0 प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों –

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाडी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति – – कुछ नही –**9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाडी के सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान**

अवरोध की राही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इन्जन/गाडी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा। (सहायक नियम 6.02, 6.08(i)(ii)(iii), 6.09 (ii)(iii) (1)(2)(3)देखे)।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी0/इज्जतनगर

(के0एस0सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

9.4 **विद्युत शक्ति (पावर) क आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश –**

- (i) स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटीग्रेटेड पावर सप्लाई सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियों बिजुवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है। आई०पी०एस० प्रकाशित बोर्ड पर प्रदर्शित इंडिकेशन ६ सूचनाओं, आई०पी०एस० का संचालन एवं विफलता की अवधि में गाड़ी संचालन हेतु विस्तृत अनुदेश सिगनलिंग परिशिष्ट 'ख' के पैरा 13 में दिये गये हैं।
- (ii) डीजल जनरेटर में जब डीजल आयल भरा जाये तो स्टेशन मास्टर जनरेट के उपयोग तथा डीजल आयल की खपत को अपनी लाग बुक में इंदराज तुरन्त करे।
कार्यरत स्टेशन मास्टर पावर सप्लाई की विफलता/उपलब्धता का इंदराज लाग बुक में निम्न प्रकार से करें –

क्रम संख्या	दिनांक	आई०पी०एस० की चार्जिंग समय घन्टा एवं मिनट में	डी०जी०सेट चलने का समय घंटा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर
			चालू करने का समय	बंद करने का समय	चलने का कुल समय		
1	2	3	4	5	6	7	8

डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।

9.5 **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य –**

आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।

9.6 **आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि:-**

- (अ) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लीयर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
- (ब) यदि लाइन क्लीयर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारणवश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी कर्मचारी को सिगनल के पास रोशनी बुझे हुये सिगनल के नीचे आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-369 (3बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य –

- (क) दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (ख) दिन एवं रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल सं० एस 9 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (ग) दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 4 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (घ) दिन एवं रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल सं० एस 8 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण:- परिशिष्ट ड. देखें।12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनलमैनों के नाम :-

कोहरे के समय फाग सिगनलमैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

13 परशिष्टों की सूची

परिशिष्ट 'क'	समपार फाटकों का संचालन
परिशिष्ट 'ख'	सिगनलिंग एवं अन्तर्पाशन की पध्दति
परिशिष्ट 'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट 'घ'	गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
परिशिष्ट 'ङ'	स्टेशन के आवश्यक उपकरण
परिशिष्ट 'च'	डी०के० स्टेशन, हाल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन के नियम
परिशिष्ट 'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

टिप्पणी – इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढा जाये।

(अतुल सिंह)
मण्डल सिगनल एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'घ'**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/अधीक्षक के कर्तव्य**

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है –

1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जाँच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से संबंधित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जाँच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलों, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय, तथा नियम पुस्तकों, डायरियों गाड़ी रजिस्ट्रों एवं अन्य रजिस्ट्रों-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस, स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगा।
- (घ) मोटर चालित कौंटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य –

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर ओर गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से संबंधित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगा। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है –

1. यार्ड, कौंटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वांछित सभी की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करे। यह भी सुनिश्चित करे कि पर स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकार का देना तथा प्राप्त करना।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- 3 ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियंत्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
- 4 साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
- 5 सभी सिगनल प्रचालनों का नियंत्रण।
- 6 शान्तिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 7 जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
- 8 स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
- 9 गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
- 10 कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- 11 जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
- 12 मोटर चालित कॉटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत कॉटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शान्तिंग के संबंध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत कॉटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये कॉटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है –

(क) गाड़ियों के आगमन/प्रस्थान एवं शान्तिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे –

- 1 सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।
- 2 कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
- 3 सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
- 4 दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि के समय फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने जाने को सुनिश्चित करना।
- 5 यदि आवश्यक हो तो अनुमुख कॉटों के पास रह कर रक्षित करना।
- 6 कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शान्तिंग करना।
- 7 आवश्यकता पडने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
- 8 कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

- 9 सिगनल लैम्पों, को जलाना—बुझाना तथा साफ रखना।
- 10 उनके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना
- 11 **कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना।**
- I) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के संबंध में।
- II) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा हाने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
- III) स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनों की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
- 12 स्टेशन पर वाहनों को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी —

जो कॉटे, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, उनका वह पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटो के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. परिचालन कर्मचारियों के अन्तर्गत शंटिंग मास्टर के कर्तव्य —

- (क) सामान्य पर्यवेक्षण
- (ख) सभी वैगनों/वाहनों को जोड़ना तथा काटना और ठीक से मार्शलिंग कराना।
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि शंटिंग समाप्त होने के बाद वैगनों/वाहनों की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
- (घ) गाडी के उस हिस्से के साथ—साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही हो तथा कॉटों की सही सेंटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना।
- (ङ) शंटिंग के दौरान हैण्ड सिगनल दिखाना।

5. परिचालन कर्मचारियों के अन्तर्गत पोर्टर के कर्तव्य —

कार्यरत स्टेशन मास्टर के निर्देशानुसार अकेले अथवा उसके पर्यवेक्षण में गाडी परिचालन से संबंधित कार्य करना।

6. परिचालन कर्मचारियों के अन्तर्गत फाटक वाला के कर्तव्य —

सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही करेगा।

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ड.'स्टेशन पर आवश्यक उपकरण –

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे –

1	हाथ सिगनल बत्ती	–	08 ट्राइ कलर 06 के० आयल (गेट सं० 154, 155 & 9)
2	हाथ सिगनल झण्डी	–	10 हरी तथा 10 लाल
3	पटाखा सिगनल	–	50
4	सुरक्षा जंजीरे	–	12 तालो सहित
5	क्लैम्प	–	12 तालों सहित
6	अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप	–	2
7	फायर बकेट	–	6
8	फर्स्ट एड बाक्स	–	1
9	लकड़ी के गुटके	–	15

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

संचालन नियम सं० इज्जत/14

फर्रुखाबाद

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर